परिशिष्ठ

कार्यालय नगरपालिका उदयपुरवाटी जिला- झुन्झुनूं (राज.)

पट्टा क्रमांक 133 (नगर निकाय का नाम)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पटटा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह 05 के 07 वे दिन जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास/ नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल उदयपुरवाटी जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मनसा कन्या महाविद्यालय समिति उदयपुरवाटी जरिये डा० कमलकिशोर सिरवाल पुत्र श्री शिवकुमार सिरवाल पुत्र श्री जाति व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उतराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक,प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना .... राजस्व ग्राम उदयपुरवाटी के खसरा संख्या 1972 .... क्षेत्रफल 2988.88व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिष्टि में अधिक पूणरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधो, बधनो, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 1,51,501/- अंकों एक लाख इक्यावन हजार पान्च सौ एक मात्र मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष , जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व के छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्वि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगें।

अधिशाषी अधिकारी

अध्यक्ष उदयपुरवाटी

सरला देवी

4. उक्त भूखण्ड का उपयेग केवल ......संस्थानिक......... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप- पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप -पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वंम द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे, उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलो में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ बाहय विकास प्रभारो का कोई बकाया राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंगन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख कें निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्युल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच. डी. एफ. सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

सरमादेवी
अध्यक्ष

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका उदयपुरवाटी

नगर पालिका उदयपुरवाटी
जिला झुन्झुनू (राज.)

133

परिशिष्ठ

कस्बे का नाम उदयपुरवाटी
राजस्व ग्राम उदयपुरवाटी
खसरा नम्बर 1972
योजना का नाम —
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ ~~मीटर~~ 2944.44

पूर्व स्वयं की भूमि पश्चिम रामानराम की भूमि भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .... सीमा उत्तर रास्ता 25 फीट दक्षिण रामपुरा नाला .... मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

सरला देवी
अध्यक्ष

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 2015 के माह 05 के 07 वें दिन श्री E.O/C.M ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

नगरीय निकाय -प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री महिपाल सिंह
   पुत्र श्री भागुराम भाम्भू
   व्यवसाय कृषक काँपोली अध्यापक
   निवास स्थान ग्राम काँपोली

   साक्षी

2. नाम श्री भंवरसिंह
   पुत्र श्री मोहनसिंह
   व्यवसाय ड्राइवरी
   निवास स्थान लोहागर्ल

   साक्षी

आज सन् 2015 के माह 05 के माह के 07 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री मनसा कन्या महाविद्यालय उदयपुरवाटी जरिए डा० कमलकिशोर लीजधारक द्वारा कार्यालय न.पा.उ.वा. में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्री महिपाल सिंह
   पुत्र श्री भागुराम भाम्भू
   व्यवसाय अध्यापक
   निवास स्थान ग्राम काँपोली

   साक्षी

2. नाम श्री भंवरसिंह
   पुत्र श्री मोहनसिंह
   व्यवसाय ड्राइवरी
   निवास स्थान लोहागर्ल

   साक्षी

आज दिनांक 29/05/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 322
में पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 2015000721 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 837
के पृष्ठ संख्या 333 से 342 पर
चस्पा किया गया।

(2015001570) उप पंजीयक, UDAIPURVATI
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

परिशिष्ठ

कार्यालय नगरपालिका उदयपुरवाटी जिला- झुन्झुनूं (राज.)

पट्टा क्रमांक 134

(नगर निकाय का नाम)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पटटा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2015 के माह मई के 25 वे दिन जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास/ नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल उदयपुरवाटी जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मनसा कन्या महाविद्यालय उदयपुरवाटी जरिए सचिव कमल किशोर सिरवाल पुत्र श्री शिवकुमार सिरवाल जाति व्यवसाय निवासी आफिस रोड नं. 79 (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उतराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक,प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्ययांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना .... राजस्व ग्राम उदयपुरवाटी के खसरा संख्या 1972 .... क्षेत्रफल 1315.11 व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिष्टि में अधिक पूणरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधो, बधनो, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 46292/- अंकें छियालीस हजार दो सौ बाणवें मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष , जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व के छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगें।

सरला देवी
अध्यक्ष
नगर पालिका उदयपुरवाटी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. उक्त भूखण्ड का उपयेग केवल ......संस्थानिक...... प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमो अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप- पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप -पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वंम द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे, उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलो में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ बाहय विकास प्रभारो का कोई बकाया राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंगन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख कें निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/ शिड्युल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच. डी. एफ. सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

सरलादेवी

जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

134

परिशिष्ठ

कस्बे का नाम उदयपुरवाटी	पूर्व राजकीय भूमि पश्चिम स्वामी श्री बद्री प्रसाद भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो .... सीमा उत्तर रास्ता दक्षिण खेतड़ी नाला .... मानचित्र संलग्न है।
राजस्व ग्राम उदयपुरवाटी	
खसरा नम्बर 1972	
योजना का नाम	
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/ मीटर 1315.11 व.मी.	

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 2015 के माह मई के 28 वें दिन श्री E.O./C.M. ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

नगरीय निकाय -प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री महीपाल यादव
   पुत्र श्री भागुराम यादव
   व्यवसाय अध्यापक
   निवास स्थान छापोली
   .... साक्षी

2. नाम श्री ओमप्रकाश जोशी
   पुत्र श्री किशनलाल जोशी
   व्यवसाय मजदूरी
   निवास स्थान नीम का थाना
   .... साक्षी

आज सन् 20....... के माह .... के माह .... के .... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री मनसा कन्या महाविद्यालय समिति उदयपुरवाटी/जरिए अध्यक्ष कमल किशोर लीजधारक द्वारा कार्यालय .... में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्री महीपाल यादव
   पुत्र श्री भागुराम
   व्यवसाय अध्यापक
   निवास स्थान छापोली
   .... साक्षी

2. नाम श्री ओमप्रकाश जोशी
   पुत्र श्री किशनलाल जोशी
   व्यवसाय मजदूरी
   निवास स्थान नीम का थाना
   .... साक्षी

आज दिनांक 29/05/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 322
में पृष्ठ संख्या 189 क्रम संख्या 2015000720 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 837
के पृष्ठ संख्या 323 से 332 पर
चस्पा किया गया।

(2015001569) उप पंजीयक, UDAIPURVATI
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))